

Nagar Nigam Dehradun- Hoarding & Unipoles- Tender Status report - Only 3 tender executed in last 10 years from 2013 to 2023 :-

Tender	Year	Min. Revenue Expectancy	Status
Tender 1.	2014	58.45 Cr	Cancelled based on Doon Adv. Association letter 19.09.2014, Stimulus Adv. & Media 24*7 letters. Extension gives to all existing companies.
Tender 2. - Executed	2015	58.45 Cr	Allotted for 2 years, then Extension without any PRICE DISCOVERY
Tender 3. - No	2017	69 Cr	Stimulus Advt. filed writ in High Court & Nagar Nigam gave Extensions to Media-24*7 on 2015 tender basis. Tender could not execute due to mis-interpretation of Hon'ble High Court Nainital Orders. Finally writ of M/s Stimulus became Infructuous on 23.09.2019
Tender 4. - Executed	2019	69 Cr	Allotted to media 24*7
Tender 5. - No	2020	79.61 Cr	Cancel – No party
Tender 6. - No	2021	79.61 Cr	Cancel – No party
Tender 7. – Executed and running bill date.	2022	63.89 Cr	Revenue reduced by Nagar Nigam by 20 %. Even lesser than Revenue Expected 5 years back (2017- 69 Cr). Allotted after 6 months of W.O issued on 30.03.2022 against tender conditions, to Media 24*7, even after failure of compliance of Final Notice by Nagar Nigam. Instead of Blacklisting and forfeiting EMD, Nagar Nigam again issued order on 09.09.2022.

संख्या- 167578 /IV(2)-शा0वि0-2023/02(वि.सि.प)23

प्रेषक,

सूरज सिंह बिष्ट,
अनु सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

✓ नगर आयुक्त,
नगर निगम- देहरादून।

शहरी विकास अनुभाग-2

देहरादून : दिनांक: 08 नवम्बर, 2023

विषय: नगर निगम- देहरादून अन्तर्गत विज्ञापन होर्डिंग एवं यूनिपोल स्थापित किये जाने सम्बन्धी निविदा के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक श्री अभिनव थापर, सोशल वर्कर एण्ड एक्टिविस्ट-उत्तराखण्ड, 217, राज प्लाजा, राजपुर रोड, देहरादून के पत्र दिनांक 12 सितम्बर, 2023 (छायाप्रति संलग्न) का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त पत्र में नगर निगम- देहरादून अन्तर्गत विज्ञापन होर्डिंग एवं यूनिपोल स्थापित किये जाने सम्बन्धी निविदाओं के विषय में कार्यवाही किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री अभिनव थापर के उक्त पत्र में वर्णित बिन्दुओं का परीक्षण कर नियमानुसार कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

भवदीय

Signed by Suraj Singh

Bisht

Date: 08-11-2023 11:22:33

(सूरज सिंह बिष्ट)

अनु सचिव।

उत्तराखण्ड
श्री पार्षद
सांसद प्रतिनिधि
(मा० श्री तरुण विजय जी)
सांसद राज्य सभा (उत्तराखण्ड)



www.bjp.org 336
निवास : 319
11/2 पटेल नगर (पश्चिम)
देहरादून
9412057767

पत्रांक - GM/104/15

अति आवश्यक

सेवा में

प्रमुख सावेर
शहरी विकास

संख्या 3991 दिनांक 21/03/15
शहरी विकास विभाग, नदीन गरी शहरी विकास,
उत्तराखण्ड शासन, भाग 10, तारकपुर विभाग,
नगरिक सुख एन रोड,
देहरादून उत्तराखण्ड सरकार

दिनांक 27/3/2015

सचिव (शहरी विकास)

कृ० जांच कर शीघ्र काम
कार्यवाही करें।

विषय- नगर निगम देहरादून द्वारा विज्ञापन हेतु निविदा में अनिश्चितता के सम्बन्ध में (प्रिन्सिपल ऑफिसर)
महोदय,

खेद के साथ अवगत कराना है कि नगर निगम द्वारा उत्तराखण्ड एक ही निविदा रखी गयी है जिसमें सम्पूर्ण शहर की एक ही निविदा रखी गयी है जबकि पूर्ण में क्षेत्रों के हिसाब से निविदाये आमंत्रित की जाती थी किन्तु वर्तमान में निगम प्रशासन की भिली भगत से तथा बिना बोड अनुमति के एक निश्चित बम्पना को लाभ पहुंचाने की दृष्टि से शही क्षेत्रों को एक कर एक टेण्डर बन दिया गया है जिसके कारण टेण्डर की लागत भी 5.84 करोड (पांच कराड चौरासा लाख) हो गयी है। तथा निविदा फार्म की कीमत 26362/- रूपये रखी गयी है तथा निविदा फार्म के साथ धरोहर राशि के रूप में 58 लाख रूपये जमा होने हैं जोकि नगर की एक सामान्य बम्पना के लिए उपयुक्त नहीं है निविदा राशि इतनी अधिक होने से विज्ञापन के छोट करारदार इस पूरी प्रक्रिया से बाहर हो गये हैं तथा बड़े विज्ञापन कम्पनियों के रहने कर रह गये हैं। इस कारण इन कम्पनियों के शोषण की पर्याप्त सामा लायें हैं।

इस निविदा में मात्र तीन बड़ी कम्पनी द्वारा टेण्डर खरीदे गये हैं ऐसा प्रतात होत है उन्सका कम्पनियों ने पुल बना यह कार्य किया गया है जिससे नगर निगम आर्थिक हानि की सम्भावनाये अधिक है।

अतः आपसे अनुरोध है कि उक्त निविदा को निरस्त कर क्षेत्रवार छोटी निविदा आमंत्रित करने का निर्देश करें जिससे छोटे व्यापारियों को इस निविदा में भाग लेने का अवसर मिल सके।

दिनांक- 27-03-2015
प्रतिलिपि- (1) मा० मुख्यमंत्री उत्तराखण्ड।
(2) मा० मंत्री शहरी विकास उत्तराखण्ड।

(Handwritten signatures and stamps)
अमित शर्मा
शहरी विकास
Kamlesh
9145
Rajendra
9145
Jaiswal

सकदीय
नामिन्द मोहन
पूत पार्षद श्री पार्षद जी के
नगर निगम देहरादून।
शहीपाल श्रीमान
(पार्षद)
नगर निगम
पार्षद

Ref No. – Nagar Nigam / Hoardings/ 02

Dated: 12.09.2023

To

The Principal Secretary,
Urban Development Dept.,
Secretariat, Gov of Uttarakhand.

Subject: Request to investigate and take appropriate measures, legal action against Nagar Nigam officials and Companies involved in gross procedural irregularities and financial misdemeanour amount to malafide intent and possible corruption in the business generation of more than Rs 250 Crores and loss of revenue to Nagar Nigam Dehradun in last 10 years from 2013 till 2023 in "Advertisement Hoardings and Unipoles of Dehradun".

Ref: Advertisement Hoarding & Unipoles Tenders issued by Nagar Nigam in 2015, 2017, 2019 & 2022

Respected Sir,

This is to bring your kind notice regarding procedural irregularities and financial misdemeanour done at Nagar Nigam, Dehradun. This serious issue pertains to gross procedural irregularities and financial misdemeanour amount to malafide intent of corruption in the business generation of more than Rs 250 Crores and loss to revenue to Nagar Nigam Dehradun in last 10 years from 2013 till 2023 in "Advertisement Hoardings and Unipoles of Dehradun". I have put down the relevant facts for your kind perusal with regards to the present matter for your reference as follows:

1. That the Nagar Nigam Dehradun is ruled by UP Nagar Nigam Act 1959 and also comes under the purview of Uttarakhand Govt. Gov of Uttarakhand has issued Notification of "Uttarakhand Procurement Policy 2008" which is mandatory

A.
12/9/23

for all govt departments including Nagar Nigam, Dehradun. This policy has been amended by Govt of Uttarakhand in 2017 as well as 2019.

2. That I have obtained information and documents from RTIs, under RTI Act-2005, and other sources and found many violations of rules/procedures pertaining to :
 - i. **Violation of Uttarakhand Procurement Policy 2008 (which was amended in 2017 & 2019) in all the advertisement tenders issued by Nagar Nigam Dehradun from 2015 to 2022;**
 - ii. **Loss of Revenue of more than Rs 50 Crores to Nagar Nigam Dehradun by the wanton collusion of Officials of Nagar Nigam & certain companies for pecuniary gains;**
 - iii. **Extensions of tenders has been done various times from 2014 till 2023 by Nagar Nigam in violation of UK Procurement rules ;**
 - iv. **Possible Cartelisation by certain companies in Hoarding Advertisements tenders.**

3. It is pertinent to note that during the Tender issued in 2015 by Nagar Nigam Dehradun, UK procurement rules 2008 were applicable on the said tender as it is under govt purview. *As per its – “Bid Security or Earnest Money Clause - Clause 20 (1) - To safeguard against a bidder’s withdrawing/altering its bid during the bid validity period in the case of advertised or limited tender enquiry, bid security (also known as earnest money) is to be obtained from the bidders except those who are exempted under specific provisions of law or rules. Amount of bid security should ordinarily range between 2% to 5%. The given percentage will depend on the total cost of the goods as follows:-*

- (i) Upto Rs. 1 lakh - 5%
- (ii) Rs. 1 lakh to 5 lakh - 4%.
- (iii) Rs. 5 lakh to 25 lakh - 3% and,
- (iv) Above Rs 25 lakh -2% shall be charged.”

A.
12/1/23

Therefore as per applicable rules the EMD in the said tender issued in 2015 should have had been Maximum upto Rs. 11.68 lakhs, which as per UK Procurement policy 2008 is 2 % of total Project Value i.e. Rs. 5.84 Cr, but actually the EMD mentioned in said tender was Rs. 58.45 Lakhs i.e. 10 % of Project Value. This is clear violation of UK procurement rules 2008 and also RESTRICTED many bidders even to participate in tender process due to enormous amount of EMD, possibly amounting to favouring certain specified bidders with deeper pockets and thereby thwarting other prospective bidders.

(Annexure 1- Relevant part of UK Procurement Policy 2008 issued on 01.05.2008)

4. It is to note that Uttarakhand govt in future years of 2017 as well as 2019 has amended EMD clause in UK Procurement Policy and has given even more relaxation in these notifications. "As per clause 44 of UK Procurement rules 2017 – EMD should be as follows :

- i. Upto Rs. 25 Crores project - 2 % of project value ;
- ii. Above Rs. 25 Crores project – Rs. 50 Lakhs + 1 % of project value above Rs. 25 crores."

Therefore as per applicable rules the EMD in the tenders issued on and after 2015 by Nagar Nigam Dehradun i.e. 2015, 2019, 2020 & 2022, should have been not more than 2 % of Tender value whereas actually it was 10 % of Tender value issued by Nagar Nigam. This is clear violation of UK procurement rules issued by govt or in-force relevant at that time and also RESTRICTED many prospective bidders even to participate in all tenders issued by Nagar Nigam in and after 2015 due to enormous amount of EMD indicating of cartelisation by collusion favouring companies and officials responsible at that time.

(Annexure 2- Relevant part of UK Procurement Policy 2017 issued on 14.07.2017)

A handwritten signature in black ink, followed by the date '12/11/23' written below it.

5. Clear Indication of Cartelisation from 2015 to 2023 in above mentioned tenders as follows :

i. Irregularities in Tender issued in 2015 - Financial Bid Opened to without EMD: Financial Bid of M/s Adron Media has been opened even after NON-SUBMISSION of EMD , as per M/s Adron has only submitted CHEQUE instead of FDR/EMD as per tender rules of Nagar Nigam issued in 2015. This is CLEAR INDICATION of SUPPORT BID to the three main bidders namely as follows:

- a. M/s Media 24 * 7;
- b. M/s Catalyst Advertising;
- c. M/s Stimulus Advertising.

Finally, the tender was awarded to M/s Media 24 * 7.

(Annexure 3- Certified copy of Tender Committee Report issued on 27.03.2015)

ii. Nagar Nigam, Dehradun ignored High Court Order issued on 17.04.2015 - There was a writ submitted by M/s Divya Himgiri, who was also one of the probable bidder, against the 2015-tender process of Nagar Nigam in Hon'ble High Court of Uttarakhand and Hon'ble High Court has issued Stay of proceedings on 17.04.2015. Order was issued by Nagar Nigam to successful bidder and thereafter M/s Media 24*7 has started the work even during the pendency of STAY order as well as writ petition. This again indicates violation of court orders, procedures, amounting to CONTEMPT and again certain collusion of officials and interested bidders.

(Annexure 4- Copy of Hon'ble High Court of Uttarakhand issued on 17.04.2015)

iii. No Price Discovery for M/s Media 24* 7 in 2014-15 : The company which eventually won the tender in Nagar Nigam in 2015 even after above mentioned irregularities was M/s Media 24 * 7. It is the same company who has already been working for the same project in Nagar Nigam Dehradun from past many

A
12/9/23

years. In year 2014-15 there were No tenders issued by Nagar Nigam Dehradun and order of Rs. 65,27,591 was allotted to M/s Media 24 * 7 without any Price Discovery in 2014.

(Annexure 5- Copy of Nagar Nigam extension order issued without Price Discovery vide Nagar Nigam letter No. 1063 dated 30.04.2014)

iv. **Violation of Tender 2015 clause by Nagar Nigam :**

a. **Clause 13- EMD in the form of CDR/FDR of Rs. 58,45,880**

mandatory : This clearly suggests that No Bid would be accepted without EMD therefore M/s Adron bid was opened seemingly as Support Bid and it is a clear violation of the procedure laid down by Nagar Nigam in the said tender. ;

b. **Clause 31- No Cartel or Syndicate is allowed :** This clause clearly suggests that **there should be No Cartelisation/Syndicate as per Hon'ble High court orders** otherwise such companies would be BLACKLISTED immediately but in this case same company was awarded the tender, who was already working without Price Discovery. Also same companies have submitted/Rejected the tenders jointly in Nagar Nigam in further tenders issued in 2017, 2019, 2020 & 2022 therefore there seems to be high possibility of Cartelisation in the tenders.

(Annexure 6- Copy of Nagar Nigam tender conditions issued on 02.02.2015)

6. **Misappropriate Extension given to certain companies without any Price Discovery or tenders for years after completion of said period:** It is pertinent to note that tender issued on 02.02.2015 was allotted to M/s Media 24 * 7 for the period from 01.04.2015 to 31.03.2017 but strangely No tenders were issued after completion period. The previous Extension Orders in 2014 were given without official assessment of the "Quality of Work done & clearance of previous royalties



by certain companies” to same 3 cos who participated in 2015 tenders- M/s Media 24*7, M/s Stimulus & M/s Catalyst- without any PRICE Discovery. Also strangely even previous participants in the tenders have NOT OPPOSED the said act done by Nagar Nigam till 2022, this raises more doubts towards Cartelisation/Syndicate of certain companies.

(Annexure 7- Copy of Nagar Nigam Extension letters to same companies in 2014 who participated/won in upcoming tenders till 2022)

7. **Loss of Revenues to Nagar Nigam by Extensions orders without Price Discovery** – In last 10 years, from 2013 to 2023, only 5 years of work has been done as per Tenders and agreements executed thereafter and rest more than 5 years work that is in the tune of more than Rs. 50 Crores revenue to Nagar Nigam Dehradun has been allotted only on EXTENSIONS without Price Discovery. This Extension of work for 5 years may have resulted into heavy loss of revenue to Nagar Nigam and it is a serious irregularity as per UK Procurement Rules and also GFR issued by Finance Department, Govt of India.
8. **Same companies in each Nagar Nigam tender may have been done due to Cartelisation** : It is to note that in all tenders issued from 2015 to 2022, there are more or less same two or three companies participating as well as winning the tenders. This is CLEAR INDICATION of CARTELISATION to the three main bidders namely as follows:
- d. M/s Media 24 * 7;
 - e. M/s Catalyst Advertising;
 - f. M/s Stimulus Advertising.

It is to note that in each tender Nagar Nigam Dehradun has a specific **Clause – Regarding No Cartel or Syndicate is allowed.** This clause clearly suggests that **there should be No Cartelisation/Syndicate as per Hon’ble High court orders otherwise**

A.
12/9/23

such companies would be BLACKLISTED immediately but in this case same company was awarded the tender, who was already working without Price Discovery. Also same companies have submitted/Rejected the tenders jointly in Nagar Nigam in further tenders issued in 2017, 2019, 2020 & 2022 therefore there seems to be high possibility of Cartelisation in the tenders from 2013.

9. Legal Dimension- Nagar Nigam misused Hon'ble High Court order dt.

13.06.2017 : It is note that one company already engaged in these projects namely M/s Stimulus Advertising filed a writ in Hon'ble High court of Uttarakhand and court allowed its participation in Bid process. In last para of Order it says – “*Apart from the above liberty i.e. petitioner's participation in the contract/bid, Nagar Nigam, Dehradun shall not proceed any further in the matter without leave of this Court.*”

This clearly suggests that Court has directed Nagar Nigam Dehradun to proceed any further in matter with the permission of Hon'ble High court but Nagar Nigam instead of pursuing matter chose to provide Extension orders again to prevailing company and it is misuse of legal process. **It is pertinent to note that this case become infructuous after Non-appearance of M/s Stimulus itself and was dismissed on 22.09.2022 and such action by M/s Stimulus has eventually benefitted M/s Media 24*7. This also raises doubt on the Cartelisation between companies and raises doubts of hood-winking the due legal process.**

(Annexure 8- Copy of Hon'ble High Court of Uttarakhand order dt. 13.06.2017 & Copy of extension letters issued by Nagar Nigam on behalf of this order)

10. Delay in Revenue collection of Nagar Nigam : It seems some officials are working in collusion with some companies in not only allotment of orders but also “Delays in Revenue Collection of Nagar Nigam” which has eventually led to loss of revenue to Nagar Nigam and also FAVOURITISM to certain companies. For example Nagar Nigam has not encashed cheque of Rs. 34,04,370 issued by M/s

A.
12/9/23

Stimulus Advertising on 27.09.2019 and returned on 23.01.2020, this act itself has delayed Nagar Nigam revenue by about 4-5 months. **There are many other such cases done by Nagar Nigam officials which has eventually resulted in “Delays in Revenue Collection of Nagar Nigam”**, which indicates pecuniary loss to Nagar Nigam by possible collusions of concerned officials for some companies.

(Annexure 9- Copy of Nagar Nigam letter issued on 23.01.2020 to return cheque of Rs. 34,04,370 issued by M/s Stimulus Advertising on 27.09.2019)

11. Work Awarded to M/s Media 24*7 instead of BLACLISTING in 2022: It is to note that M/s Media 24 * 7 was allotted Work order by Nagar Nigam vide letter dated 30.03.2022 according to which the company was directed to deposit Rs. 1.62 Cr within 3 days of Work order and **as per tender conditions failing to which would result in CANCELLATION of Work Order.** Nagar Nigam issued Notice again to company on 13.05.2023 to deposit Rs. 1.62 Cr within 3 days otherwise order would be Cancelled, again there was FINAL NOTICE issued by Nagar Nigam regarding deposit of Rs. 1.62 Cr and also Stamp of 2% for agreement as per tender conditions. Surprisingly the company failed to deposit revenue of Rs. 1.62 Cr to Nagar Nigam till 6 months but they were enjoying the business revenues from market as already the said work by done by same company. **Then shockingly Nagar Nigam Dehradun instead of work order cancellation & Blacklisting the said company, again issued the letter on 09.09.2022 even after FINAL NOTICE & company finally deposited the revenue after 6 months.** This was serious and blatant violation of clauses in Nagar Nigam tender and Nagar Nigam suffered a major revenue loss due to this DELAY caused in process, with No penalty to the said company for causing the loss of public money.

(Annexure 10- Copy of Nagar Nigam letters issued to M/s Media 24*7 on 30.03.2022, 13.05.2022, Final Notice without Date & 09.09.2022)

A
12/1/23

12. Investigation on 325 Illegal Hoardings revenues- It is pertinent to note that as per Nagar Nigam Survey–Joint Committee Report on 16.11.2019 there were 325 illegal hoardings identified in the designated area. Those hoardings were also generating revenues from past and it is a matter of serious investigation that whether those 325 illegal hoardings were either sold by the same companies or their sister concerns, who were already engaged in the hoarding business of Nagar Nigam Dehradun, or Not ?

(Annexure 11- Copy of Nagar Nigam report on 325 illegal Hoardings issued as per Nagar Nigam Survey–Joint Committee Report on 16.11.2019.)

13. It is to inform you that I have submitted similar complaints to The Mayor and The MNA vide letter Ref. No. Nagar Nigam / Hoardings/ 01- dt. 11.08.2023 but its been more than 30 days that “**No-Action**” has been taken by top authorities of Nagar Nigam, Dehradun.

(Annexure -12 – Copy of Receiving of my complaint letter dt. 11.08.2023)

14. It is to note that in last 10 years, from 2013 to 2023, that from the above submissions it is very evident & natural to conclude that gross violations of rules & procedures have been committed by acts of omission and commission and even the observations of Hon’ble High Court of Uttarakhand:

- i. **Suspected Corruption by action in Business generation of Rs. 250 Crores to companies:** That approximately Rs. 25-30 Crore per year business generation by companies from Hoardings/Unipoles allotted to them by Nagar Nigam, therefore for last 10 years approximate business generation by companies engaged in above tenders to certain companies would be more than Rs. 250 Crores.
- ii. **Loss of Revenue to Nagar Nigam :** It is to note that based on above facts there is high probability of Cartelisation in the above mentioned tenders

A.
12/9/23

and also more than 5 years projects were allotted without Price Discovery. This also leads to high loss of Revenue to Nagar Nigam in the said project.

- iii. **Delay in Revenues of Nagar Nigam :** It is to note that even after tender allotment said companies have failed to deposit requisite revenue timely of Nagar Nigam. This DELAY in REVENUES has been enjoyed by said companies in collusion with certain officials of Nagar Nigam and has damaged Nagar Nigam revenue collection structure, with no subsequent Blacklisting or Penalties to make up the enormous loss of Public money, with no subsequent Blacklisting and/or penalties with interest to Compensate for the ensuing loss to public exchequer.

15. That the applicant hopes and prays that the said representation receives your kind due and urgent attention and consideration in the serious lapses and allegations therefore:

- a. That all necessary actions along with a high level independent inquiry should be carried out for Investigation of cartelisation in above tenders from 2013 to 2023 which has eventually generated a business of more than Rs. 250 Crores to those companies;
- b. That all necessary actions along with a high level independent inquiry should be carried out for identification of Nagar Nigam Officials who were working in collusion with certain companies and favouring them.
- c. To engage Third party for Forensic Audit-Assessment of investigation of accounts from 2013 to 2023 of all three companies named in Para -6 (i) and their directors/family members to check the business revenue generation and money trails involved in the process.
- d. Blacklisting of companies identified after enquiry in Cartelisation/Syndicate;
- e. To engage Third party for Forensic Audit-Assessment of loss of revenue of Nagar Nigam Dehradun and Recovery of loss of revenue with interest from companies involved in the process.


A.
12/4/23

- f. To set-up a Committee on investigation 325 illegal hoardings identified by Nagar Nigam on 16.11.2019 were either sold by the same companies or their sister concerns, who were already engaged in the hoarding business of Nagar Nigam Dehradun, or Not ? Also penalty on the companies/people who were selling and generating revenues from these 325 hoardings.
- g. To censure and proceed against the identified colluding officials involved in pecuniary loss to Public exchequer.
- h. That the said action may be initiated with due-diligence in a time-bound manner with notifications to all concerned.

Please take immediate action on this matter related to possible corruption in Nagar Nigam Dehradun which needs your urgent intervention.

Thanking You,

Yours faithfully


(Abhinav Thapar)

Social Worker & Activist- Uttarakhand

Corr Add- 217, IInd Floor, Raj Plaza, Rajpur Road,
Dehradun, Uttarakhand- 248001

Mobile: 9412053085 ; Email: a.thapar29@gmail.com

CC To :- The M.N.A Nagar Nigam, Dehradun- for Immediate Action

In pursuance, of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Notification No. 177/XXVII(7)/2008, Dehradun dated May 01, 2008 for general information.

**Government of Uttarakhand
Department of Finance**

No. 177/XXVII(7)/2008

Dehradun: Dated: 01 May, 2008

In exercise of the powers conferred by the provision to Article 166 of the Constitution of India and in supersession of all existing rules and orders on the subject, the Governor is pleased to make the following rules for the purpose of procurement of goods, works and services and for Public Private Partnership arrangements in infrastructure and service delivery projects and to regulate the matters connected therewith or incidental thereto-

THE UTTARAKHAND PROCUREMENT RULES, 2008

Chapter-1

General Instructions

Short Title,
Commencement,
Extent and
overriding effect

- 1(1) These rules may be called The Uttarakhand Procurement Rules, 2008.
- (2) They shall come into force with immediate effect.
- (3) These rules shall be applicable to all Government Departments, State Public Sector Undertakings (PSUs), Statutory Authorities, Panchyati Raj Institutions Municipalities/Urban Local Bodies, Government societies and other entities, which are under the administrative control of the State Government for the purpose of procurement of goods, works, services and for Public Private Partnership arrangements in infrastructure and service delivery projects.
- (4) The provisions of these rules shall have effect notwithstanding anything inconsistent therewith contained in any other rules and orders for the time being in force or in any instrument having effect by virtue of any rules and orders other than these rules.

Definitions

- 2 In these rules, unless the context otherwise requires: -
 - (a) 'State' means the State of Uttarakhand;
 - (b) 'Governor' means the Governor of Uttarakhand;

machinery. It may however be kept in mind that the equipment/ machinery is maintained free of charge by the supplier during its warranty period or such other extended period as the contract terms may provide and the paid maintenance should commence only thereafter.

Bid Security or Earnest Money

- 20(1) To safeguard against a bidder's withdrawing/altering its bid during the bid validity period in the case of advertised or limited tender enquiry, bid security (also known as earnest money) is to be obtained from the bidders except those who are exempted under specific provisions of law or rules. Amount of bid security should ordinarily range between 2% to 5%. The given percentage will depend on the total cost of the goods as follows:-
- (i) Upto Rs. 1 lakh - 5%
 - (ii) Rs. 1 lakh to 5 lakh - 4%.
 - (iii) Rs. 5 lakh to 25 lakh - 3% and,
 - (iv) Above Rs 25 lakh -2% shall be charged.
- (2) From time to time the Government may revise such rates. The bid money should be pledged in the name of Government/authority in the form of demand draft or fixed deposit receipt or Bankers cheque or Bank guarantee or deposited in given heads of account through e-banking (if any) to the satisfaction of the competent authority safeguarding the interest of the purchaser in all respects. The bid security is normally to remain valid for a period of 45 days beyond the final bid validity period and the period may also be extended.
- (3) Bid securities of the unsuccessful bidders should be returned to them at the earliest after expiry of the final bid validity but not later than 30 days after the award of the contract by the concerned department/authority.

Performance Security

- 21(1) To ensure due performance of the contract, performance security is to be obtained from the successful bidder who has been awarded the contract. Performance security is to be obtained from every successful bidder irrespective of their registration status etc. Performance security should be for an amount which is 5 to 10% of the value of the contract. Performance security may be furnished in the form of account payee demand draft, fixed deposit receipt from commercial bank, Bank Guarantee in an acceptable form safeguarding the department/competent authority's interest in all respects.
- (2) Performance security should remain valid for a period of 60 days beyond the date of completion of all contractual obligations of the suppliers/bidders including warranty obligations.
- (3) Bid security should be refunded to the successful bidder on receipt of performance security.

Advance Payment to Supplier

- 22(1) Ordinarily, payments for services rendered or supplies made, should be released only after the services have been rendered or supplies made. However, it may become necessary to make advance payments in the following types of cases:-
- (i) Advance payment demanded by firms holding maintenance contract for servicing of Air-conditioners, Computers, other costly equipments etc.
 - (ii) Advance payment demanded by firms against fabrication contracts, turn-key contracts etc.

उत्तराखण्ड शासन
वित्त(वि0आ0-सा0नि0) अनुभाग-7
संख्या: 130/XXVII(7)32/2017
देहरादून: दिनांक 14 जुलाई, 2017

अधिसूचना संख्या-129/XXVII(7)32/2017 दिनांक 14 जुलाई, 2017 द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (प्रॅकयोरमेंट) नियमावली, 2017 की प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. समस्त अपर मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव/प्रभारी सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4. समस्त विभागाध्यक्ष एवं कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
5. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
6. महानिबन्धक, उत्तराखण्ड, मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल।
7. प्रमुख स्थानिक आयुक्त, उत्तराखण्ड, नई दिल्ली।
8. सचिव, विधान सभा, उत्तराखण्ड।
9. उत्तराखण्ड सचिवालय के समस्त अनुभाग।
10. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
11. निदेशक, कोषागार पेंशन एवं हकदारी, उत्तराखण्ड देहरादून।
12. समस्त मुख्य/वरिष्ठ/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
13. उपनिदेशक राजकीय मुद्रणालय रुड़की को इस आशय से प्रेषित कि कृपया इस अधिसूचना को राजपत्र में प्रकाशित करते हुए प्रकाशित अधिसूचना की 1000 प्रतियाँ इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
14. वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड एकक, देहरादून।
15. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(अमित सिंह नेगी)
सचिव।

पर तैयार कर उसका समूचित प्रलेखन किया जाय और यथासम्भव पारदर्शिता के लिए "वेबसाइट" पर भी रखा जाय।

(3) दरों की अनुसूची सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित की जाय, जो सामान्यतः संगठन का प्रमुख होता है।

(4) बाजार में सामग्री की दर में जब भी विशेष उतार-चढ़ाव हो तो दरों की अनुसूची पुनरीक्षित की जाय। साधारणतः इसे कम से कम प्रत्येक वर्ष में एक बार अद्यावधिक किया जाय।

43- बोनस एवं
परिनिर्धारित
नुकसान
(लिविडेटेड
डैमेज)-

(1) कोई कार्य निर्धारित समय सीमा से पहले पूरा हो या अनेपक्षित, अप्रत्याशित घटनाओं के कारण विलम्ब से पूरा हो एवं ऐसे प्रकरणों में जहाँ किये गये अतिरिक्त प्रयास या ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई हो जो अधिप्राप्तिकर्ता या निविदादाता के नियंत्रण के बाहर हो, श्रेय एवं दायित्व निर्धारण का प्रभाजन कभी-कभी कठिन होता है। अतः जल्दी कार्य पूरा होने पर लाभ देने एवं विलम्ब हेतु दण्डित करने का प्राविधान संविदा में अत्यन्त न्यायपूर्ण ढंग से किया जाय।

(2) साधारणतया, निविदा आमंत्रित करते समय ही कार्य पूरा करने की अवधि का पूर्व निर्धारण किया जाय। निर्धारित समय से पहले कार्य पूरा होने पर, पुरस्कार अत्यन्त सावधानी से उनसे प्राप्त होने वाले वास्तविक लाभों के मूल्यांकन के पश्चात्, कभी-कभी ही, निर्धारित किया जाय एवं उसका निविदा दस्तावेजों में ही स्पष्ट वित्तीय स्वरूप में उल्लेख किया जाय।

(3) यदि कार्य संविदा की शर्तों में निहित समय से विलम्ब से किया जाय तो परिनिर्धारित नुकसान की धनराशि विशिष्ट रूप से इंगित दर पर उदगृहित की जाय, परन्तु ऐसी धनराशि संविदा के कुल मूल्य के 10 प्रतिशत से अधिक न हो। निविदा दस्तावेज में ही चिन्हित कमियों, गलतियों, उपेक्षाओं, कृत्यों आदि का उल्लेख कर स्पष्ट रूप से वित्तीय स्वरूप में दण्ड प्रस्तावित किया जाय।

44- धरोहर
धनराशि, कार्यपूर्ति
गारण्टी, प्रतिभूति
निक्षेप, बोनस तथा
परिनिर्धारित
नुकसान-

साधारणतया निम्नलिखित प्रतिशत विनिर्दिष्ट किये जा सकते हैं, परन्तु वास्तविक धनराशि अधिप्राप्ति इकाई द्वारा कार्य के प्रकार, कार्य की मात्रा तथा अत्यावश्यकता को देखते हुए विनिश्चित की जा सकती है :-

(क) धरोहर धनराशि :-

₹0 25 करोड़ लागत तक के अनुमानित कार्य के लिए	अनुमानित लागत का 02 प्रतिशत
₹0 25 करोड़ लागत से अधिक के अनुमानित कार्य के लिए	₹0 50 लाख + ₹0 25 करोड़ से अधिक अनुमानित लागत का 1 प्रतिशत

(ख) कार्यपूर्ति गारण्टी - संविदा मूल्य का 05 प्रतिशत

(ग) प्रतिभूति निक्षेप - संविदा मूल्य का 05 प्रतिशत

(घ) बोनस - संविदा मूल्य का 01 प्रतिशत प्रतिमाह परन्तु अधिकतम संविदा मूल्य का 05 प्रतिशत

Annex

Annexure-3

240

क्र.सं.	विवरण	प्रमाण/संदर्भ	प्राप्त/प्रदान	दिनांक
1
2
3
4

Handwritten signatures and notes, including a large signature that appears to be 'Rajesh'.

Annex

Annexure-4

17.04.2015

Hon'ble Alok Singh, J.

Mr. Pankaj Miglani, Advocate for petitioner.

Mr. Anil Kumar Joshi, Addl. Chief Standing Counsel for State of Uttarakhand / respondent no. 1.

Mr. Jitendra Chaudhary, Advocate holding brief of Mr. S. S. Chauhan, Advocate for respondent nos. 2 and 3.

Mr. V.K. Kohli, Sr. Advocate assisted by Ms. Rajni Supyal, Advocate accepted notice on behalf of respondent no. 4.

Ms. Rajni Supyal, Advocate for respondent no. 4 undertakes to file her Vakalatnama on behalf of respondent no. 4 during the course of the day.

Let counter affidavit be filed within 10 days.

In the peculiar facts and circumstances of the case, I direct that grant of contract in favour of respondent no. 4 pursuant to the impugned tender notice shall be subject to the final decision in the writ petition.

CLMA No. 4010 of 2015 stands disposed of accordingly.

(Alok Singh, J.)

17.04.2015

5/2

Annexure

Annexure-5

119

203

कार्यालय नगर निगम देहरादून

दिनांक 24/7
अनुपम गार्डन, नव सराय रोड,
सैनिक फार्म,
दिल्ली-110068

पत्र संख्या- 119/203/119/14

दिनांक- 24/7/14

आपको सूचित किया जाता है कि आपको गत वर्ष राजपुर रोड-50, चकराता रोड पर-42, गांधी रोड पर-05, जी०एम०एम० रोड पर-11 व साधारणपुर रोड पर-20 यूनिपोल लगाये जाने की स्वीकृति निर्धारित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान की गयी थी। वर्ष 2014-15 हेतु अपरिहार्य कारणों व निधि नही हों पायी है। नगर निगम अधिनियम 1959 की धारा 305, 306 के अधीन व मुख्य नगर अधिकारी महो० के आदेश एवं मा० नगर प्रमुख महो० के अनुमोदन दिनांक 17.4.14 के अनुपालन में आपको उपरोक्तानुसार गत वर्ष स्वीकृत यूनिपोल में 10 प्रतिशत की वृद्धि करतें हुए तीन माह अर्थात् माह अप्रैल, मई एवं जून 2014 तक की अनुमति/एक्स्टेंशन दृश्य निर्धारित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान कर दी गयी है।

अतः आप इस नोटिस प्राप्ति के एक सप्ताह के अन्दर उपरोक्तानुसार कमरा: रु० 28,04,165/-, 18,10,598/-, 4,35,600/-, 3,77,025/-, 11,00,193/- कुल धनराशि रु० 65,27,591/- नगर निगम कोष में जमा करा दे, निर्धारित अदायगी तक धनराशि जमा न कराने पर आपका पंजीकरण निरस्त करते हुए आपको भविष्य के लिये ब्लॉक लिस्ट कर दिया जायेगा व घोहर के रूप में जमा आपकी सी०डी०आर० जमा कर ली जायेगी। जिसका समस्त उत्तरदायित्व आप स्वयं का होगा।

कर अधिकारी, भूमि
नगर निगम, देहरादून

24/7/14

etc

Signature

न
की
लि
म
नाक

Annexure

कार्यालय नगर निगम, देहरादून।
 सार्वजनिक निविदा सूचना

क्रमांक 1173/100390-2018

नगर निगम देहरादून शीघ्रतः दिनांक 01.04.2018 से 31.03.2017 तक निर्दिष्टित वर्गों पर विहित करों पर सूचना प्रकाशित करने हेतु दिनांक 27.03.2018 को अद्यतन 300 करोड़ तक पंजीकृत निगमन एजेंटियों से निविदा आमंत्रित की जाती है।
 निम्नित सूचना

राजपुर रोड, सक्तावा रोड, मनी रोड, तेलनेपुर रोड, सधवायन रोड, सहनवा रोड, राजपुर रोड, देहरादून, उत्तराखण्ड।

निविदा सूचना के साथ निविदा प्रारम्भिक का का प्रस्ताव की (Specification)/एकत्रितपत्र (Bidding Form) सभी प्रेषित करें।
 प्रारम्भिक/अग्रिम की सहायता नगर निगम देहरादून से प्राप्त करेंगी। निविदा सूचना पत्र पर एक रुपये का बतौर + निविदा प्रारम्भिक काका द्वारा उपलब्ध करायी जा सकती है जो दिनांक 27.03.2018 तक निती से कार्य दिनांक में प्राप्त होने पर मात्र ही वापस कर/वापस कर
 निविदाये दिनांक 27.03.2018 को प्राप्त करे वाली के साथ सभी अन्वेषी निविदा प्रारम्भिक प्राप्त करने पर ही प्रेषित करे।
 वेबसाईट www.ungarain.govt.nic.in पर भी उपलब्ध है।

दिनांक 27/3/18

100 करोड़ तक

शर्तें/शर्तियाँ

1. सम्प्रदायक सचिव कंसारी समाचार पत्र को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उक्त निविदा सूचना को सूत्राग सूचिका एवं डी0ए0वी0पी0 दर रु0 28.44/- पर उत्तराखण्ड सम्प्रदायक समाचार पत्र के आगामी अंक में प्रकाशित करवाने एवं अखबार की 02 प्रतियाँ सहित विल भुगतान हेतु इस नगरपालिका को प्रेषित करने का करंट करें।
2. सम्प्रदायक व टिड्डूला समाचार पत्र को इस अनुरोध के साथ कि उक्त निविदा सूचना को नगरपालिका एवं डी0ए0वी0पी0 दर रु0 154.35/- पर उत्तराखण्ड एवं एन0सी0अनर सम्प्रदायक के आगामी अंक में प्रकाशित करवाने एवं अखबार की 02 प्रतियाँ सहित विल भुगतान हेतु इस कार्यालय को प्रेषित करने का करंट करें।
3. सूचना महानिदेशक, उत्तराखण्ड को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वह उपररंक्त निवेदक सूचना का विल सत्यापित कराकर भुगतान हेतु इस कार्यालय को प्रेषित करवाने का करंट करें।
4. अन्वेषी0अनर, देहरादून को इस अनुरोध के साथ कि कृपया उक्त निविदा सूचना को अपने अधीनस्थ समस्त विभागों के नोटिस बोर्ड पर चरवा कराने हेतु सम्बन्धित को निर्दिष्टित करके का करंट करें।
5. श्री मनीष गुप्ता, आई0डी0आफिसर को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त निविदा सूचना का नगर निगम की वेबसाईट पर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
6. नोटिस बोर्ड नगर निगम, नोटिस बोर्ड पर चरवा हेतु।
7. कार्यालय प्रेषित।

2

17-3-18

4/3/18

4/3/2018

उपर सूचीय नगर अधिकारी
 नगर निगम देहरादून


(Signature)

(Signature)



कार्यवाही द्वारा अपने रेट स्पष्ट रूप से शब्दों व अंकों में लिखे जायेंगे, व कटिंग होने की दशा में
 59
 कार्यवाही करना अनिवार्य है।

11. निविदा तिथि व समय के उपरान्त प्राप्त निविदाओं पर विचार नहीं किया जायेगा।
12. निविदादाता द्वारा निविदा स्वीकृत होने पर कुल धनराशि की 25 प्रतिशत धनराशि 15 दिन के अन्दर
 25 प्रतिशत धनराशि दिनांक 30 जून 2015 एवं अवशेष धनराशि वित्तीय वर्ष 2015-16 की 31
 दिसम्बर 2015 तक नगर निगम कोष में जमा करानी अनिवार्य है। निर्धारित अवधि तक धनराशि जमा
 न होने तक 18 प्रतिशत ब्याज पृथक से देय होगा।
13. नगर निगम के डिपॉजिटर/बकायेदार व उसके सगे सम्बन्धी निविदा में भाग लेने के पात्र नहीं होंगे।
14. निविदा डलक के माध्यम से निर्धारित तिथि एवं समय तक भेजी जा सकती है।
15. निविदा के साथ ₹58,45,880/- धनराशि की सीडी/आर/एफडी/आर संलग्न करनी अनिवार्य
 होगी।
16. यूनिपोल लडक से जितना सम्भव हो हाईटेशन तारों से नीचे तक की ऊँचाई पर लगावे जायेंगे।
 इन्तरे सम्बन्धित सुरक्षा का दायित्व निविदा दाता/फर्म का होगा।
17. यूनिपोल का अधिकतम साइज 20 x 10 फिट का होगा या त्यत अनुत्तर उसे कम होना चाहिये।
 यूनिपोल का डिजाईन वर्ष 2012-13 में शहर में लगे यूनिपोलों की गुणवत्ता से किसी भी स्थिति में
 कम न हो। कोई भी यूनिपोल बाँस, एंगल व गोत पाईप पर नहीं लगाये जायेंगे।
18. यूनिपोल अधिकतम 25 डिग्री कोण पर अथवा इन्तरे कम पर व त्यत के अनुसार लडक के तानांतर
 ही लगाये जायेंगे। यूनिपोल इत प्रकर लगाना होगा कि किसी प्रकार की दुर्घटना न हो फिर भी
 यदि कोई दुर्घटना होती है तो फर्म इत हेतु उत्तरदायी होगा।
19. यूनिपोल चिन्हित क्षेत्र/लम्बाई में ही लगाये जायेंगे। त्यीकृत स्थलों के अतिरिक्त अन्य त्यलो पर
 यूनिपोल नहीं लगाये जायेंगे।
20. यूनिपोल सम्बन्धित विज्ञापन एजेन्सी द्वारा अपने त्यं के त्य पर ही लगाये जायेंगे, नगर निगम द्वारा
 उपरोक्त के सम्बन्ध में कोई भी धनराशि देव नहीं होगी।
21. कारकार द्वारा प्रतियन्धित उत्पादों जैसे सराव, तम्बाकू सिगरेट आदि के विज्ञापन एवं अस्तित्व विज्ञापन
 प्रकाशित नहीं किये जायेंगे।
22. यूनिपोल पर दिखती के कनेक्शन की व्यवस्था एजेन्सी द्वारा त्यं के त्य पर ही की जायेगी।
 निविदादाता द्वारा यूनिपोल पर अपना अलग से मीटर लगाना होगा व विद्युत बिलों का नुगतन भी
 त्यव को करना होगा।
23. कटिप में यतायात एवं सान्दर्भिकरण की दृष्टि से कोई भी यूनिपोल हटाने की अवस्यकता होती है
 तो सम्बन्धित एजेन्सी को 24 घन्टे के अन्दर यूनिपोल को हटाना होगा।
24. किसी विवाद की स्थिति में मुख्य नगर अधिकारी नगर निगम, देहसदून का निर्णय अन्तिम होगा।
25. निविदा स्वीकार/अस्वीकार करने का अधिकार मुख्य नगर अधिकारी नगर निगम, देहसदून में निश्चित
 होगा। किसी भी वाद के लिये क्षेत्राधिकार जिला देहसदून के जिला न्यायालय/न्यायालयों को होगा।
26. निविदादाता द्वारा दिनांक 01 अप्रैल 2015 से 31 मार्च 2017 तक यूनिपोल सम्बन्धित फर्म चुयकर
 रूप से किये जाने पर जमानत की धनराशि वापस की जायेगी।
27. सम्बन्धित विज्ञापन एजेन्सी को समय-समय पर जारी नियम/विताप्रकाशन के आदेशों का अनुपालन
 करना होगा।
28. इस सम्बन्ध में माओ उच्च न्यायालय नैनीताल की दायिक संख्या-एनपी/एओ 39 वर्ष 2012 का
 अनुपालन करना होगा।



निविदा स्वीकृत निविदादाता को सभी यूनिपोल नगर निगम द्वारा निर्धारित स्थलों पर लगाने होंगे, और यूनिपोल को पेन्ट तथा उसके ऊपर विद्युत प्रबन्ध के लिये एल0डी0डी0 लाईट लगानी होगी। विद्युत विद्युत की खपत कम होगी। यह सब निविदादाता को अपने व्यय पर लगाना होगा, और सभी यूनिपोल की फाउन्डेशन व उसका स्वरूप नगर निगम द्वारा उल्लिखित किये गये शर्तों के अनुसार ही रहना होगा।

28 नगर निगम द्वारा प्रतिबन्धित स्थलों पर यूनिपोल नहीं लगाये जायेंगे। किसी भी निविदादाता द्वारा अनाधिकृत रूप से यूनिपोल नहीं लगाये जायेंगे, यदि यह ज्ञात होता है कि निविदादाता द्वारा अनाधिकृत रूप से यूनिपोल लगाये गये हैं तो उसकी निविदा तत्काल समाप्त करने हुए उसे भविष्य के लिये ब्लैक लिस्ट कर दिया जायेगा। जहाँ यह भी संज्ञान में आता है कि निविदादाता के किसी तले सम्बन्धी उसके गुण के किसी सदस्य आदि के द्वारा अनाधिकृत विज्ञापन किया जाता है तो निविदादाता द्वारा प्रतियूनिपोल ₹0-25000/- का अर्थ दण्ड लगाया जायेगा, व उसको भविष्य के लिये ब्लैक लिस्ट कर दिया जायेगा।

29 यूनिपोल में नगर निगम, देहरादून द्वारा स्वीकृत लिखा जाना होगा। इसके साथ 01 से अंतिम संख्या तक नम्बर लिखा जाना अनिवार्य होगा, तथा सम्बन्धित फर्ग द्वारा केवल उपरोक्त यूनिपोल/विज्ञापन पट पर विज्ञापन प्रदर्शित किया जायेगा। अन्य माध्यमों से विज्ञापन/प्रचार-प्रसार हेतु नगर निगम द्वारा दृष्टक से आवेदनकर्ता को अनुमति दी जायेगी तथा शुल्क नगर निगम द्वारा लिया जायेगा।

30 उपरोक्त यूनिपोल लगाने में लगे व्यक्तियों श्रमिकों अथवा कर्मियों का नियमानुसार पी0पी0ए070, नैतिक दौलत, सुरक्षा उपकरणों आदि की व्यवस्था फर्ग को स्वयं करनी होगी।

31 निविदादाता को अपने आवेदित क्षेत्र में अनाधिकृत रूप से हुई वॉलपेंटिंग, पिजली के छम्बों पर लगे पोल इन्स्ट्रु व छतों पर लगे विज्ञापन पट्टों को हटाने का दायित्व निविदादाता का स्वयं का होगा। निविदादाता इत सन्ध में अनाधिकृत रूप से विज्ञापन करने वालों के विरुद्ध फौजदारी अथवा सिविल न्यायालय में वाद दायर करने हेतु स्वतन्त्र होगा। निविदादाता के क्षेत्र में यदि उसके द्वारा अनाधिकृत विज्ञापन लगा पाया जाता है तो उसकी निविदा निरस्त कर उसे भविष्य के लिये ब्लैक लिस्ट कर दिया जायेगा। इस सन्ध में नग उच्च न्यायालय नैनीताल की मायिका संख्या-39 वर्ष 2012 का अनुपालन करना होगा यह भी स्पष्ट किया जाता है कि कोई भी निविदादाता प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई सिंडीकेट (Syndicate) या कार्टेल (Cartail) या पूर्व से रजिस्टर्ड ग्रुप बना कर निविदा की प्रक्रिया को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करने का प्रयास नहीं करेगा, यदि ऐसा कोई तथ्य बाद में प्रकट में आता है तो उसकी निविदा बिना किसी नोटिस के निरस्त की जा सकेगी तथा उसे भविष्य के लिये ब्लैक लिस्ट किया जा सकेगा।

32 उपरोक्त में से किसी भी शर्त के उल्लंघन पर स्वीकृति बिना किसी नोटिस के निरस्त कर दी जायेगी एवं परांतर के रूप में जना सी0डी0आर0/एफ0डी0आर0 जब कर ली जायेगी।

कर अधिक (भूमि)
नगर निगम, देहरादून।

(Signature)

कर अधिक (भूमि)
नगर निगम, देहरादून।

Annex

www.jyoti.com 336

Annexure-7 324

कार्यालय नगर निगम देहरादून

भौ0 कैंटलिस्ट एड0 मीडिया
3/1 ई0 सी0 रोड, देहरादून

पत्र संख्या:- 1272/2701/2014

दिनांक 25.11.2014

आपको सूचित किया जाता है कि आपका मत नाम नगर निगम पर-20 यूनिपोल लगाये जाने की स्वीकृति निर्धारित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान की गयी थी। वर्ष 2014-15 हेतु अपाठिपण कारणों से निम्नलिखित नोटिस जारी है। नगर निगम अधिनियम 1959 की धारा 305,306 के अधीन व मुख्य नगर प्रशासक नगर के आदेश एवं मा0 नगर प्रमुख महो0 के अनुमोदन दिनांक 17.11.14 के अनुसार आपकी पंजीकरण गत वर्ष स्वीकृत यूनिपोल में 10 प्रतिशत की छूट का हक है। छ माह अर्थात माह अक्टूबर 2014 से 31 मार्च 2015 तक की अवधि के लिए निर्धारित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान कर दी गयी है।

अतः आप इस नोटिस प्राप्ति के 15 दिन के अन्दर नगर निगम कोष में रु. 55379 - नगर निगम कोष में जमा करा दे, निर्धारित अवधि तक प्रदान की जाने पर आपका पंजीकरण निरस्त करते हुए आपको भविष्य में नगर निगम से कैंटलिस्ट कर दिया जायेगा व धरोहर के रूप में जमा आपकी सौ0 ई0 अन्तः कर में जमा होगी। जितका समस्त उत्तरदायित्व आप स्वयं का होगा।

कर अधीक्षक भूने
नगर निगम देहरादून

[Handwritten signature]
2014

[Handwritten signature]
नगर निगम देहरादून

कार्यालय नगर निगम देहरादून

329

गौरी स्टीमूलस एडो इन्वार्पोशन
11/10 राजपुर रोड, देहरादून

पत्र संख्या:- 1273/अभि(व/न/न)/2014

दिनांक:- 25.11.2014

आपको सूचित किया जाता है कि आपको गत वर्ष राजपुर रोड पर-05 यूनियोन लगाये जाने की स्वीकृति निर्धारित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान की गयी थी। वर्ष 2014-15 हेतु अपरिहार्य कारणोंवशा निर्निदा नहीं हो पायी है। नगर निगम अधिनियम 1959 की धारा 305,306 के अधीन व मुख्य नगर अधिकारी महोदय के आदेश एवं गौरी नगर प्रमुख महोदय के अनुमोदन दिनांक 17.4.14 के अनुपालन में आपको उपरोक्तानुसार गत वर्ष स्वीकृत यूनियोन में 10 प्रतिशत की वृद्धि करन हुए छः माह अर्थात माह अक्टूबर 2014 से 31 मार्च 2015 तक की अनुमति/एक्सटेंशन पूर्व निर्धारित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान कर दी गयी है।

अतः आप इस नोटिस प्राप्ति के 15 दिन के अन्दर उपरोक्तानुसार कमरा: 20 46,845/- नगर निगम कोष में जमा करा दे, निर्धारित अवधि तक धनराशि जमा न कराने पर आपका पंजीकरण निरस्त करते हुए आपको भविष्य के लिये ब्लैक लिस्ट कर दिया जायेगा व धरोहर के रूप में जमा आपकी सी10डी0आर0 जफ्त कर ली जायेगी। जिसका समस्त उत्तरदायित्व आप स्वयं का होगा।

कर-अधीक्षक, भूमि
नगर निगम, देहरादून
E/C

Receivone by
Subst
2/12/14
Dairam

Annexure-8

Annexure

WPMS No. 1267 of 2017

Hon'ble Sudhanshu Dhulia, J.

Mr. V.K. Kohli, Senior Advocate assisted by Mr. Kanti Ram Sharma, learned counsel for the petitioner.

Mr. S.S. Chauhan, Advocate, present for the respondent.

List this matter on 29.06.2017 in the daily cause list.

Meanwhile, the petitioner is permitted to participate in the bid process. However, it is made clear that the mere participation of the petitioner in the bid will not prejudice the case of the petitioner before this Court.

Apart from the above liberty i.e. petitioner's participation in the contract/bid, Nagar Nigam, Dehradun shall not proceed any further in the matter without leave of this Court.

(Sudhanshu Dhulia, J.)

13.06.2017
Amsd

High Court of Uttarakhand

Daily Status
High Court of Uttarakhand
In The Court Of : Justice
Case Number : WPMS/0001267/2017
M/s Stimulus Advertising Incorporation AND ANOTHER Versus Nagar Nigam Dehradun
Date : 23-09-2019

Business : dismissed as infructous.
Nature of Disposal : DISMISSED AS INFRUCTUOUS
Disposal Date : 23-09-2019

Justice



कार्यालय नगर निगम, देहरादून। (A JOURNAL City)

(फोन-0135-2714671 फैक्स-0135-2851102 ई-मेल-nagarnigam.dhn@gmail.com)

पत्रांक:- 3163 / मू0अनु0-2017.

दिनांक- 22/06/17

मै0 मीडिया 24 x 7,
फ्लैट नं0-424, डी0डी0ए0एस0एफ0एस0,
पॉकेट-1, सेक्टर-22 द्वारिका,
नई दिल्ली - 110077

विषय:-दिनांक 01.06.2017 से दिनांक 30.06.2017 तक यूनिपोल विज्ञापन की वनराशि जमा कराने के सम्वन्ध में।

उपरोक्त विषयक अवगत कराना है कि दिनांक 13.06.2017 यूनिपोल पर विज्ञापन हेतु आमंत्रित निविदा मा0 उच्च न्यायालय के अग्रिम आदेशों तक निविदा न खोलें जाने के निर्देश दिये गये है। ऐसी स्थिति में नगर निगम को वित्तीय हॉनि न हो इसलिये नगर आयुक्त महोदय के आदेश पर मा0 महापौर महोदय के अनुमोदन दिनांक 16.06.2017 के अनुपालन में दिनांक 01 जून 2017 से दिनांक 30 जून 2017 तक 01 माह की वनराशि रू0-2547921/-को निगम कोष में जमा कराने हेतु स्वीकृति प्रदान की गयी है।

उक्त के सम्वन्ध में आपको निर्देशित किया जाता है कि माह अप्रैल 2017 तथा मई 2017 हेतु 10 प्रतिशत वृद्धि के साथ कुल निर्धारित वनराशि रू0-2547921 को प्राप्ति के 03 दिन के अन्दर निगम कोष में जमा कराना सुनिश्चित करें।

कर अधीक्षक नूनि
नगर निगम, देहरादून।
उप अधीक्षक नूनि
नगर निगम, देहरादून

उप अधीक्षक नूनि
नगर निगम, देहरादून



कार्यालय नगर निगम, देहरादून।

(फोन- 0135-2714374 फैक्स-0135-2651000 ई-मेल-nagar@nagar.dohd.gov.in)

पत्रांक:- 3361/एस0टी0-17



दिनांक:- 23.08.017

भे0 मीडिया 24 X 7,
प्लेट नं0-424, डी0डी0ए0एस0एफ0एस0,
पॉकेट-1, सेक्टर-22 हारिका,
नई दिल्ली-110077

विषय :- दिनांक 01.07.2017 से दिनांक 31.08.2017 तक यूनिपोल विज्ञापन शुल्क की धनराशि जमा कराने के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयक अवगत कराना है कि दिनांक 13.06.2017 को यूनिपोल पर विज्ञापन प्रदर्शित करने हेतु आमन्त्रित निविदा को मा0 उच्च न्यायालय के अग्रिम आदेशों तक निविदा न खोलें जाने के निर्देश दिये गये हैं। ऐसी स्थिति में नगर निगम को वित्तीय हानि न हो इसलिये नगर आयुक्त महोदय के आदेश दिनांक 18.08.2017 पर मा0 मेयर महोदय के अनुमोदन दिनांक 21.08.2017 के अनुपालन में दिनांक 01.07.2017 से दिनांक 31.08.2017 तक 02 माह का विज्ञापन शुल्क रू0-5095842 को निगम कोष में जमा कराये हेतु स्वीकृति प्रदान की गयी है।

अतः उक्त के सम्बन्ध में आपको निर्देशित किया जाता है कि माह जुलाई 2017 तथा अगस्त 2017 हेतु 10 प्रतिशत वृद्धि के साथ कुल निर्धारित धनराशि रू0-5095842 को पत्र प्राप्ति के एक सप्ताह के अन्दर निगम कोष में जमा कराना सुनिश्चित करें।

कर अधीक्षक भूमि,
नगर निगम, देहरादून।
कम प्रमुख भूमि,
नगर निगम, देहरादून

DR BISHWANATH SHARMA (240821)
CSIN No. 454031240174
EV5543907401N

Counter No. 1, Code 11
Date: 23/08/2017

KANUNGAR-2, PIN: 240120

From: NAGAR NIGAM, B. No.

At: DEHRADUN, 23/08/2017

Auth: 40E001E not a b...

CGST 09% S GST 09% I. 00

<<Track on www.india.gov.in>>




Annexure-9³³¹
312



कार्यालय नगर निगम, देहरादून।

(फोन- 0135-2714074 से 2711-0135-2651000 ई-मेल nrganigan@dehradun.com)

पत्रांक:- 033 / होठ-20




दिनांक:- 23/01/2020


श्री पीयूष नांगलिया, पार्टनर
मै0 स्टीमुलस एडवर्टाईजिंग इन कॉर्पोरेश,
देहरादून।

कृपया अपने पत्र दिनांक 27.09.2019 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसमें आपके द्वारा आउट क्षेत्र में लगे 150 होर्डिंग का वकाया विज्ञापन शुल्क रू0-6900750/- में से मात्र रू0-3404370/- की धनराशि का चेक सं0-148565 दिनांक 27.09.2019 निगम कार्यालय में जमा कराया गया था। जो कि किसी कारण वश निगम कोष में जमा नहीं हो पाया है। जिसकी वैधता भी समाप्त हो गयी है।

अतः चेक सं0-148565 अंकन रू0-3404370/- का चेक संलग्न कर आपको प्रेषित किया जा रहा है। आप उक्त चेक के स्थान पर दूसरा चेक निगम कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।


वरिष्ठ वित्त अधिकारी,
नगर निगम, देहरादून।

Sanyal
23-1-20


नगर निगम, देहरादून।

Annexure-10

262

पत्रांक 800/मूगि0-2022

कार्यालय नगर निगम, देहरादून।

(फोन- 0135-2714974 फैक्स-0135-2761870 ई-मेल- ngram@ngram.org.in)

दिनांक- 30/3/2022

कार्यादेश

गै0 मीडिया 24 X 7 एडवर्टाइजिंग प्रा0लि0
67/1 आर्यनगर ब्लॉक-2
राजपुर रोड, देहरादून।

नगर निगम देहरादून क्षेत्रान्तर्गत 104 युनिपोल के माध्यम से विज्ञापन प्रदर्शित किये जाने हेतु दिनांक 02.01.2022 एवं दिनांक 03.01.2022 को सार्वजनिक निविदा सूचना का प्रकाशन कराते हुए दिनांक 25.01.2022 को ई0 निविदाये आमंत्रित की गयी थी। जिसमें आपकी फर्म के साथ-साथ एक अन्य फर्म द्वारा निविदा में प्रतिभाग किया गया था। चूंकि निविदा खोलने की तिथि में उत्तराखण्ड राज्य में आदर्श आचार संहिता प्रभावी होने के कारण उक्त निविदा की तकनीकी निविदा दिनांक 15.03.2022 को खोली गयी थी। जिसमें दोनों फर्म सफल पाई गयी। दोनों फर्म के तकनीकी निविदा में सफल होने के उपरान्त दिनांक 26.03.2022 को दोनों फर्म की वित्तीय निविदा खोली गयी है।

उक्त वित्तीय निविदा में आपकी फर्म गै0 मीडिया 24 X 7 एडवर्टाइजिंग प्रा0लि0 नई दिल्ली द्वारा नगर निगम द्वारा आरक्षित निविदा धनराशि ₹0-6,30,92,851/- (छः करोड़ छत्तीस लाख बयानबं हजार आठ सौ इक्यावन मात्र) के सापेक्ष अपनी वित्तीय निविदा ₹0-6,50,16,999/- (छः करोड़ पच्चास लाख सोलह हजार नौ सौ निम्नानये मात्र) उच्चतम की दी गयी है, जिस नगर मा0 महापौर महोदय द्वारा स्वीकार किया गया है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि आप वित्तीय वर्ष 2022-23 हेतु निर्धारित धनराशि की 3,25,03,500/- की पच्चास प्रतिशत धनराशि अर्थात् ₹0-1,62,54,250/- को पत्र प्राप्ति के तीन दिन के भीतर तथा अपराध धनराशि ₹0-1,62,54,250/- को अग्रिम 6 माह में निगम कोष में जमा कराते हुए स्वीकृत निविदा धनराशि पर 2 प्रतिशत स्टॉन्स मूल्य पर अनुबन्ध कराते हुए दिनांक 01.04.2022 से 02 वर्ष के लिये कार्य प्रारम्भ कराना सुनिश्चित करें।

सहायक नगर आयुक्त,
नगर निगम, देहरादून।

प्रतिलिपि-

मा0 महापौर महोदय, नगर निगम देहरादून को अवलोकनार्थ प्रेषित।

नगर आयुक्त महोदय को उनके द्वारा दिये गये निर्देश के अनुपालन में अवलोकनार्थ प्रेषित।

सहायक नगर आयुक्त,
नगर निगम, देहरादून।

कार्यालय नगर निगम, देहरादून।

(फोन- 0135-7714676 फैक्स-0135-2651160 ई-मेल-ccn@nagar.nic.in)

पत्रांक 927 / भूमि-2022.

दिनांक- 17/05/2022

अनुरोध/नोटिस

नं० नीडिया 24 X 7 एडवरटाइजिंग प्रा0लि0
67/1 आर्यनगर ब्लॉक-2
राजपुर रोड, देहरादून।

विषय- यूनिपोल विज्ञापन हेतु अनुमति कराने एवं अग्रशेष धनराशि को निगम कोष में जमा कराने के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयक नगर निगम देहरादून क्षेत्रांतर्गत 184 यूनिपोल के माध्यम से विज्ञापन प्रदर्शित किये जाने हेतु दिनांक 25.01.2022 को ई0 निविदाये आमंत्रित की गयी थी। जिसमें आपकी फर्म की वित्तीय निविदा रू0-6,50,16,999/- (छः करोड़ पच्चास लाख शौलह हजार नौ सौ निव्यानवे मात्र) उच्चतम को तत्कालीन नगर आयुक्त महोदय एवं ना0 महापौर महोदय द्वारा स्वीकार किया गया था।

उक्त के क्रम में आपको नगर निगम के कार्यदेश सं0-800 दिनांक 30.03.2022 के द्वारा आपके वित्तीय वर्ष 2022-23 हेतु निर्धारित धनराशि की 3,25,08,500/- की पच्चास प्रतिशत धनराशि अर्थात् रू0-1,62,54,250/- को पत्र प्राप्ति के तीन दिन के भीतर तथा अग्रशेष धनराशि रू0-1,62,54,250/- को अग्रिम 6 माह में निगम कोष में जमा कराते हुए स्वीकृत निविदा धनराशि के 2 प्रतिशत स्टॉम्प मूल्य पर अनुबन्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया था, परन्तु बड़े खंड का विषय है कि आपके द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 हेतु निर्धारित धनराशि रू0-3,25,08,500/- की 50 प्रतिशत धनराशि रू0-1,62,54,250/- में से मात्र रू0-1,40,00,000/- ही निगम कोष में जमा कराये गये है, अग्रशेष धनराशि रू0-22,54,250/- को निगम कोष में जमा नहीं कराया गया है, तथा स्वीकृत निविदा धनराशि रू0-6,50,16,999/- की 2 प्रतिशत धनराशि अर्थात् रू0-13,00,340/- (तेरह लाख तीन सौ चालीस मात्र) मूल्य के स्टॉम्प अनुबन्ध हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया है। उक्त के क्रम में नगर आयुक्त महोदय द्वारा विज्ञापन सम्बन्धी की गयी समीक्षा बैठक में दिये गये निर्देश के अनुपालन में आपको निर्देशित किया जाता है कि आप दिनांक 17.05.2022 तक नगर निगम तथा अपनी फर्म नं० नीडिया 24 X 7 के मध्य अनुबन्ध गठित करना सुनिश्चित करें। दिनांक 17.05.2022 तक अनुबन्ध गठित न होने की दशा में आपकी निविदा निरस्त करने की कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी।

जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी आपकी स्वयं की होगी।

सहायक नगर आयुक्त
नगर निगम, देहरादून।
/s/ [Signature]

प्रतिलिपि:-

1. ना0 महापौर महोदय, नगर निगम देहरादून को अवलोकनार्थ प्रेषित।
2. नगर आयुक्त महोदय को उनके द्वारा दिये गये निर्देश के अनुपालन में अवलोकनार्थ प्रेषित।

सहायक नगर आयुक्त
नगर निगम, देहरादून।
/s/ [Signature]



कार्यालय नगर निगम, देहरादून।

(फोन- 0135-2714871/271-8133 2831000 ई वेब- www.dnmc.org.in)

पत्रांक...../भूमि-2022.

दिनांक -

अन्तिम नोटिस

श्री 0 मीडिया 24 X 7 एडवर्टाईजिंग प्रावलि
67/1 आर्यनगर ब्लॉक-2
राजपुर रोड, देहरादून।

विषय- अनुबन्ध गठित करने को सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयक आपको अवगत कराना है कि वित्तीय वर्ष 2022-2023 एवं 2023-2024 हेतु अन्तिम नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत 184 यूनिपोल के माध्यम से विज्ञापन प्रदर्शित किये जाने हेतु आपके द्वारा दी गयी उच्चतम निविदा के आधार पर नगर आयुक्त महोदय के अनुमोदन दिनांक 30.03.2022 पर मा0 महापौर महोदय की स्वीकृति उपरान्त दिनांक 01.04.2022 से दो वर्ष के लिये कार्य प्रारम्भ करने हेतु भूमि अनुभाग को कार्यालय पत्र सं0-800 दिनांक 30.03.2022 के द्वारा कार्यादेश जारी करते हुए वित्तीय वर्ष 2022-2023 हेतु निर्धारित धनराशि रु0-16254250 को निगम कोष में जमा करते हुए स्वीकृत निविदा धनराशि के 2 प्रतिशत स्टॉम्प मूल्य पर अनुबन्ध गठित करने हेतु निर्देशित किया गया था, परन्तु बड़े खेद का विषय है कि आपके द्वारा अनुबन्ध गठित किये जाने हेतु इस कार्यालय को स्टॉम्प पेपर उपलब्ध नहीं कराये गये हैं। जिस हेतु आपको भूमि अनुभाग के कार्यालय पत्र सं0-927 दिनांक 13.05.2022 द्वारा अनुस्मारक/नोटिस प्रेषित किया गया था परन्तु फिर भी आपके द्वारा अतिथि तक अनुबन्ध गठित करने की कार्यवाही नहीं की गयी है।

उक्त के सम्बन्ध में नगर आयुक्त महोदय द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में आपको इस अन्तिम नोटिस के माध्यम से निर्देशित किया जाता है कि आप पत्र प्राप्ति के तीन दिन के अन्दर 2 प्रतिशत स्टॉम्प मूल्य पर अनुबन्ध गठित करना सुनिश्चित करें। तीन दिन के अन्दर अनुबन्ध गठित न होने की दशा में आपकी निविदा निरस्त किये जाने हेतु नगर आयुक्त महोदय को संस्तुति कर दी जायेगी। जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी आपकी स्वयं की होगी।

सहायक नगर आयुक्त
नगर निगम, देहरादून।

प्रतिलिपि-

1. मा0 महापौर महोदय को सादर अवलोकनार्थ प्रेषित।
2. नगर आयुक्त महोदय नगर निगम को सादर अवलोकनार्थ प्रेषित।
3. अपर नगर आयुक्त महोदय नगर निगम को सादर अवलोकनार्थ प्रेषित।

(Signature)

उपस्थिति सहायक
नगर निगम, देहरादून
सहायक नगर आयुक्त

सहायक नगर आयुक्त
नगर निगम, देहरादून।

(Signature)

(Signature)



कार्यालय नगर निगम, देहरादून।

पत्रांक. 1295 / गृहिण-2022

(फोन- 0135-2710211 व 2710212-2710213 ई-मेल- nmc@dehradun.gov.in)

गै 0 मीडिया 24 X 7 एडवरटाइजिंग प्रा० लि०
67/1 आर्यनगर ब्लॉक-2
राजपुर रोड, देहरादून।

दिनांक- 21/07/2022

विषय- दो वर्ष हेतु निर्धारित यूनिपोल विज्ञापन की धनराशि के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयक नगर निगम देहरादून क्षेत्रान्तर्गत 184 यूनिपोल के माध्यम से विज्ञापन प्रदर्शित किया जाता हेतु दिनांक 25.01.2022 को ई0 निविदायें आमंत्रित की गयी थी। जिसमें आपकी फर्म की विचार्य निविदा रू०-8,50,16,999/- से क्रॉड पच्चास लाख सौ हजार नौ सौ निम्नानुमे माधु उच्चतम को हल्लादीन नगर आयुक्त महोदय एच मा० महापौर महोदय द्वारा स्वीकार किया गया था।

उक्त के वम मे आपको नगर निगम के कार्यदेश सं०-800 दिनांक 30.03.2022 के द्वारा आर० वि० सं० 2022-23 हेतु निर्धारित धनराशि की 3,25,08,500/- की पच्चास प्रतिशत धनराशि अर्थात् रू०-1,62,54,250/- का पत्र प्रेषित के तीन दिन के भीतर तथा अवशेष धनराशि रू०-1,62,54,250/- को अन्तिम 6 माह मे निगम रोड म उच्च कराने हेतु लिखा गया था, परन्तु नगर आयुक्त महोदय द्वारा दिये गये मौखिक निर्देशों के अनुपालन में आपको पुन निर्देशित किया जाता हे कि आप दो वर्ष हेतु स्वीकृत निविदा धनराशि की 50 प्रतिशत धनराशि अर्थात् रू०-3,25,08,500/- की अवशेष बची धनराशि में से 1,62,54,250/- 3 दिन के अन्दर तथा दूसरे वर्ष हेतु निर्धारित धनराशि रू०-3,25,08,500/- को माह सितम्बर 2022 में निगम कोष में जमा कराना सुनिश्चित करें।

सहायक नगर आयुक्त
नगर निगम, देहरादून।

प्रतिक्रिया-

1. मा० महापौर महोदय, नगर निगम देहरादून को अवलोकनार्थ प्रेषित।
2. नगर आयुक्त महोदय को उनके द्वारा दिये गये निर्देश के अनुपालन में अवलोकनार्थ प्रेषित।

सहायक नगर आयुक्त
नगर निगम, देहरादून।

(Handwritten Signature)

उपरोक्त प्रेषित
नगर निगम, देहरादून
सहायक नगर आयुक्त

Annexure-11 Annex

विन्दु सं०-०२ ①

दिनांक - 16-1-19 को संयुक्त टीम द्वारा कीये गये राते
का निर्धारण

नगर निगम सीमाविस्तार पश्चात नये क्षेत्रों में होडिंग निर्दिष्ट कराये जाने हेतु मार्गवार विवरण।

क्रम सं०	मार्ग का नाम	वर्तमान में अर्ध तगे होडिंग की सं०	निर्दिष्ट कराये जाने हेतु प्रस्तावित होडिंग की सं०
1	चन्द्रवनी चौक से आशारोही निगम सीमा तक		
2	मसूरी डाईवर्जन पेट्रोत पम्प के आगे से डोम गाव नगर निगम सीमा तक		
3	राजपुर हीत फेडरी के आगे पुलिया पार से महराणा प्रताप नाम नदी पुल तक	17	17
4	राजपुर चौक से किंदूवाला पुल होते हुए जंगल चौक तक	4	2
5	6 नं० पुलिया चौक से अम्बीवाला गुल्हारा तक	7	3
6	6 नं० पुलिया से सिंग रोड होते हुए राजपुर रोड तक	4	
6	साई मन्दिर राजपुर रोड के बगल से काठबंगला रोड होते हुए कुवाली चौक तक		
7	आईटीए पार्क से कुवाली चौक से महराणा रोड पैमेटिक गॉल्फ क्वार्टर तक		
8	दून यूनिवर्सिटी रोड नियर बंगाली बरडी		
9	शिमला बार्डपास चौक से सेंट ज्यूड चौक से शिवालय कालेज चौक एम्प्लूएस्ड एवं रोड ज्यूड चौक से नगर निगम सीमा आरंभ गरी पुल तक	17	31
10	मसूरी रोड दास से कुआवाला नगर निगम सीमा तक		
11	राजपुर चौक से फरिदकोटवाली नगर निगम सीमा तक		





(Signature)
नगर निगम

(Signature)
16/1/19

(Signature)
16/1/19

1510113 का संयुक्त रूप द्वारा जमा में रखे का
 नगर निगम सीमाविस्तार परचात नये क्षेत्रों में होर्डिंग निविदा कराये जाने हेतु मार्गवार विवरण।

क्रम सं०	मार्ग का नाम	क्षेत्रफल में अंश तय होर्डिंग की सं०	निविदा कराये जाने हेतु प्रस्तावित होर्डिंग की सं०
1	चन्द्रवनी चौक से अमरासोही निगम सीमा तक	110	
2	भरपुरी आईवलेन पेडोलेत मार्ग के आगे से लोग पाव गकर निगम सीमा तक	110	4
3	राजपुर डील सिन्धी के आगे पुलिसा फास से महात्मा जवाहर लाल नेहरू पुल तक		
4	राजपुर चौक से सिन्धीवाला पुल होते हुए होमास चौक तक		
5	6 नं० पुलिसा चौक से सिन्धीवाला गुल्डवाला तक		
6	6 नं० पुलिसा से सिन्धी रोड होते हुए राजपुर रोड तक		
6	नाई मन्दिर राजपुर रोड के बगल से काठकगला रोड होते हुए कृपाली चौक तक	0	3
7	आई0टी0ए फार्क से कृपाली चौक से सहस्रधारा रोड पैलेयिक गोलक अपार्टमेंट तक	28	10
8	दुम दनिवसिटी रोड नियर बंगाती कोठी		
9	शिमला बाईपास चौक से सेंट ज्युड चौक से सिन्धीवाला कालेज जी0एफ0ए0ए0ए सिन्धी रोड ज्युड चौक से नगर निगम सीमा आसन नदी पुल तक		
10	शास्त्रीनगर डाल से कुआंवाला नगर निगम सीमा तक		
11	राजपुर चौक से पण्डितवाणी नगर निगम सीमा तक		
	कुल		





 15/02/19
 URTP EXPERT
 MODA
 B-Tech

नगर निगम सीमाविस्तार परघात नये क्षेत्रों में होर्डिंग निविदा कराये जाने हेतु मार्गवार विवरण।

क्रम सं०	भाग का नाम	कीलाना से जहाँ तक सीमा की सं०	अवधि नये क्षेत्र में होर्डिंग की सं०
1	चन्द्रवती चौक से आशातोषी निगम सीमा तक		
2	मसूरी कॉम्प्लेक्स रोड़ीत भाग के आगे से डोम गाँव नगर निगम सीमा तक		
3	रायपुर कील से अगे पुलिया पार से मखराणा प्रताप सांग नदी पुल तक		
4	रायपुर चौक से किन्दावला पुल होते हुए डोमात चौक तक		
5	6 नं० पुलिया चौक से आशातोषी पुलिया तक		
6	6 नं० पुलिया से रिंग रोड होते हुए रायपुर रोड तक		
7	साई मन्दिर राजपुर रोड के बगल से काठबंगला रोड होते हुए कृष्णा चौक तक		
8	अस्पॉर्टींग पार्क से कृष्णा चौक से सहस्रनामारा रोड पौरीक गोरफ अपार्टमेंट तक		
9	दून यूनिवर्सिटी रोड नियर बंगाली कोठी		
10	शिमला बाईपास चौक से रोड ज्युड चौक से शिवालय कॉलेज जी.एन.एस. एवं सेंट ज्युड चौक से नगर निगम सीमा आसना नदी पुल तक		
11	गान्धीनगर दास से कुआँवला नगर निगम सीमा तक		
	बन्सपुर चौक से आशातोषी नगर निगम सीमा तक		

24.11.19
 (V.P. Kulkarni)
 16/11/19

[Signature]
 छाया प्रति महाकर्मिणी
 नगर निगम, ...

[Signature]
 02/12/19
 MDDM

[Signature]
 J.E. ...
 (City Engineer)

Dated: 11.08.2023

Ref No. - Nagar Nigam / Hoardings/ 01

To
Mr. Sunil Uniyal Gama Ji,
The Hon'ble Mayor,
Nagar Nigam, Dehradun, Gov of Uttarakhand.

Subject: Request to investigate and take appropriate measures, legal action against Nagar Nigam officials and Companies involved in gross procedural irregularities and financial misdemeanour amount to malafide intent and possible corruption in the business generation of more than Rs 250 Crores and loss of revenue to Nagar Nigam Dehradun in last 10 years from 2013 till 2023 in "Advertisement Hoardings and Unipoles of Dehradun".

Ref: Advertisement Hoarding & Unipoles Tenders issued by Nagar Nigam in 2015, 2017, 2019 & 2022


Respected Sir,

This is to bring your kind notice as you being the elected Mayor of Nagar Nigam, Dehradun regarding procedural irregularities and financial misdemeanour done at Nagar Nigam under your watch and ward as an elected Mayor representing the citizens of Dehradun. This serious issue pertains to gross procedural irregularities and financial misdemeanour amount to malafide intent of corruption in the business generation of more than Rs 250 Crores and loss to revenue to Nagar Nigam Dehradun in last 10 years from 2013 till 2023 in "Advertisement Hoardings and Unipoles of Dehradun". I have put down the relevant facts for your kind perusal with regards to the present matter for your reference as follows:

1. That the Nagar Nigam Dehradun is ruled by UP Nagar Nigam Act 1959 and also comes under the purview of Uttarakhand Govt. Govt of Uttarakhand has issued

11/08/2023

11/08/2023



11/08/23

Dated: 11.08.2023

Ref No. – Nagar Nigam / Hoardings/ 01

To

Mr. Sunil Uniyal Gama ji,

The Hon'ble Mayor,

Nagar Nigam, Dehradun, Gov of Uttarakhand.

Subject: Request to investigate and take appropriate measures, legal action against Nagar Nigam officials and Companies involved in gross procedural irregularities and financial misdemeanour amount to malafide intent and possible corruption in the business generation of more than Rs 250 Crores and loss of revenue to Nagar Nigam Dehradun in last 10 years from 2013 till 2023 in "Advertisement Hoardings and Unipoles of Dehradun".

Ref: Advertisement Hoarding & Unipoles Tenders issued by Nagar Nigam in 2015, 2017, 2019 & 2022

Respected Sir,

This is to bring your kind notice as you being the elected Mayor of Nagar Nigam, Dehradun regarding procedural irregularities and financial misdemeanour done at Nagar Nigam under your watch and ward as an elected Mayor representing the citizens of Dehradun. This serious issue pertains to gross procedural irregularities and financial misdemeanour amount to malafide intent of corruption in the business generation of more than Rs 250 Crores and loss to revenue to Nagar Nigam Dehradun in last 10 years from 2013 till 2023 in "Advertisement Hoardings and Unipoles of Dehradun". I have put down the relevant facts for your kind perusal with regards to the present matter for your reference as follows:

1. That the Nagar Nigam Dehradun is ruled by UP Nagar Nigam Act 1959 and also comes under the purview of Uttarakhand Govt. Gov of Uttarakhand has issued

Sunil Uniyal
25/08/2023

